न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(श्याम लाल गुर्जर,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

राजस्व अपील संख्या: 07/2018

दायर दिनांक: 20.06.2018

निर्णय दिनांक 16.08.2018

—:अनवान:—

श्रीमती नानी पुत्री भेरा जी, पत्नी द्वारकाप्रसाद, जाति कुमावत, आयु वयस्क, निवासी कांकरोली, हाल सनवाड़ तहसील व जिला राजसमंद

——अपीलांट

—:: बनाम ::—

1— राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार,राजसमंद
2— लक्ष्मीबाई पत्नी नानालाल कुमावत, आयु वयस्क,निवासी कांकरोली तहसील व जिला राजसमन्द
3— रूपलाल पिता भेरा कुमावत, आयु वयस्क,निवासी कांकरोली तहसील व जिला राजसमन्द
4— रतनलाल पिता भूरा कुमावत, आयु वयस्क, निवासी कांकरोली तहसील व जिला राजसमन्द

——रेस्पोण्डेंट

अपील विरुद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार, राजसमंद प्रकरण संख्या 03 सन् 2018 निर्णय दिनांक: 06.06.2018 बअनवान लक्ष्मीदेवी बनाम रूपलाल वगैरा

उपस्थित:—

1— श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता अपीलांट
2— श्री कैलाश बोल्या,अधिवक्ता रेस्पोण्डेंट संख्या 1
3— श्री भरत साहू, अधिवक्ता रेस्पोण्डेंट संख्या 3 व 4
4— रेस्पोण्डेंट संख्या 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

उक्त अपील तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा प्रकरण संख्या 03/2018 लक्ष्मीदेवी बनाम रूपलाल में पारित आदेश दिनांक 06.06.2018 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में प्रस्तुत अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट ने तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा दिनांक 06.06.2018 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के अन्तर्गत आदेश दिया गया कि ग्राम कांकरोली की आराजी संख्या 88 में पिलाई हेतु आराजी नम्बर 90 में बने हुए धोरे को बंद करने से आराजी नम्बर 88 में पानी नहीं पहुंचने से उक्त प्रकरण में प्रार्थनापत्र स्वीकार कर ग्राम कांकरोली की आराजी नम्बर 88 में पानी ले जाने हेतु आराजी नम्बर 90 में विपक्षी द्वारा बंद धोरे को खोले जाने के आदेश पारित किये हैं, जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि

वादग्रस्त भूमि का रेस्पोण्डेंट संख्या 2 खातेदार नहीं है। इसे प्रार्थनापत्र पेश करने का अधिकार ही नहीं है। सहखातेदार को पक्षकार बनाये बगैर प्रार्थनापत्र पेश किया किया गया है। अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया है न ही साक्ष्य सबूत ली गयी है। मौके पर कोई धोरा विद्यमान नहीं है। अपीलार्थी की खातेदारी में बनी हुई पक्की बाउण्ड्री को तोड़कर नये सिरे से धोरा निकाला जा रहा है,इसलिये अपील मंजूर फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

उक्त प्रकरण में अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा अपील मेमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि का रेस्पोण्डेंट संख्या 2 खातेदार नहीं है। इसे प्रार्थनापत्र पेश करने का अधिकार ही नहीं है। सहखातेदार को पक्षकार बनाये बगैर प्रार्थनापत्र पेश किया किया गया है। अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया है न ही साक्ष्य सबूत ली गयी है। मौके पर कोई धोरा विद्यमान नहीं है। अपीलार्थी की खातेदारी में बनी हुई पक्की बाउण्ड्री को तोड़कर नये सिरे से धोरा निकाला जा रहा है। यह भी निवेदन किया कि आराजी नम्बर 90 के अपीलार्थी खातेदार है और उसके भूमि में से धोरा निकालने के आदेश के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुना ही नहीं है। उसे सुनवाई का नोटिस न तो दिया है न तामील हुआ है। मौके पर कोई धोरा मौजूद ही नहीं है। फिर भी नये सिरे से धोरा निकालने के आदेश जारी कर दिये हैं जो न केवल विधि के विपरीत है बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अपने उक्त तर्कों के समर्थन में आर.एल.डब्ल्यू. 2005 पेज 131 का न्यायिक दृष्टान्त पेश कर निवेदन किया कि दूसरे पक्ष को सुने बगैर पारित आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल हैं। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को अपास्त फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि अपील आधारहीन है। तहसीलदार राजसमन्द द्वारा की गई कार्यवाही विधिसम्मत है। अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुए विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अपील आधारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

रेस्पोण्डेन्ट संख्या 3, 4 के अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत कार्यवाही की गई है। रेस्पोण्डेन्ट की खातेदारी भूमि में फसल बो रखी है जिसमें पानी ले जाने के लिये सदीप से धोरा आराजी नम्बर 90 में से बना हुआ है, जिसे अवैध रूप से बंद कर दिया है। अपील आधारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर गहन मनन किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया।

उक्त प्रकरण में मुख्य विवाद यह रहा था कि तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा ग्राम काकरोली में स्थित आराजी नम्बर 88 में नहर से सिंचाई के लिये बना हुआ धोरा, जो कि आराजी नम्बर 90 में से गुजरता है, उक्त धोरे को आराजी नम्बर 90 के खातेदार द्वारा बंद कर दिया है जिसे खुलवाने के लिये तहसीलदार द्वारा आदेश पारित किया गया है, जिसमें पत्रावली के अवलोकन से अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया है लेकिन पत्रावली पर उपलब्ध पर्चा मौका रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि उक्त आराजी में सिंचाई के लिये बने हुए धोरे को बाउण्ड्री बनाकर आराजी नम्बर 90 के खातेदार द्वारा बंद किया जाना प्रमाणित पाया गया। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार, राजसमन्द के आदेश को इस प्रकार संशोधित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है कि राजस्व ग्राम कांकरोली के आराजी नम्बर 88 में सिंचाई के लिये जो धोरा आराजी नम्बर 90 से गुजर रहा है,रेस्पोण्डेंट अपनी आराजी नम्बर 88 में सिंचाई का पानी ले जाने के लिये आराजी नम्बर 90 की भूमि में से 2 फीट गहरी पाईप लाइन डालकर अपने खेत में पानी ले जाने के लिये स्वतंत्र रहेगा। इस कार्य में आराजी नम्बर 90 के खातेदार किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे तथा रेस्पोण्डेंट भी अपीलार्थी के आराजी नम्बर 88 में सिंचाई हेतु पानी ले जाने के लिये पाईप लाईन डालने के कार्य में किसी प्रकार का अवरोध नहीं करेंगे।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार, राजसमन्द के आदेश को इस प्रकार संशोधित किया जाता है कि राजस्व ग्राम कांकरोली के आराजी नम्बर 88 में सिंचाई के लिये जो धोरा आराजी नम्बर 90 से गुजर रहा है,रेस्पोण्डेंट अपनी आराजी नम्बर 88 में सिंचाई का पानी ले जाने के लिये आराजी नम्बर 90 की भूमि में से 2 फीट गहरी पाईप लाइन डालकर अपने खेत में पानी ले जाने के लिये स्वतंत्र रहेगा। इस कार्य में आराजी नम्बर 90 के खातेदार किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे तथा रेस्पोण्डेंट भी अपीलार्थी के आराजी नम्बर 88 में सिंचाई हेतु पानी ले जाने के लिये पाईप लाईन डालने के कार्य में किसी प्रकार का अवरोध नहीं करेंगे।

(श्याम लाल गुर्जर)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 16.08.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्याम लाल गुर्जर)
जिला कलक्टर
राजसमंद